

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है जो इस दुरस्ती के कारण हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती हेतु लिखित नुति सुधार की संज्ञा में आती है। अतः इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों में सहमति की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
खसरा संख्या	सकबा	खतबदार का नाम	खसरा संख्या	सकबा	खतबदार का नाम	खसरा संख्या	सकबा
बहामबाब	228	इन्द्राज पुत्र जगत जाति मेधवंशी सा. देह खतबदार रहन वल्लभूर	225 70 253	524	हजमान बाब पुत्र मालबाब जाति मेधवंशी सा. देह खतबदार रहन वल्लभूर	225 70 253	524

आदेश :-
372
20/10/21

उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ड.माना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ड.माना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

यदि उपरोक्त दुरस्ती को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का इश्वरान नहीं हो तो निर्णयानुसार
संज्ञा में सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर